फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

TR घनश्याम वगैरह बनाम फूल व 3

केस संख्या : 45/25

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		किया है एक अंतिम अवसर दिया जाता है आ.तो. पेशी पर अप्रार्थीगण से जवाब पेश करे। पत्रावली दिनांक 16/7/25 को वास्ते जवाब हेतु पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	16/7/25	पत्रावली प्रस्तुत (व.क.उप.) अप्रार्थी 9 ता 18 ने आज भी जवाब पेश नहीं किया है आ.तो. पेशी पर अप्रार्थीगण से जवाब पेश करें। पत्रावली वास्ते जवाब बहस प्रा.पत्र हेतु दिनांक 17/7/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	17/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.क.उप.। अप्रार्थी 9 ता 18 ने जवाब पेश नहीं किया है अतः जवाब बंद किया जाता है। बहस उभय पक्ष सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 4/8/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	4/8/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.क.उप.। प्रस्तुत तर्कों के आधार पर दिनांक [illegible]/2025 को जारी अन्तरिम [illegible] को मूल वाद के निस्तारण तक [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 45/2025 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 01.05.2025

घनश्याम पुत्र स्व० श्री हनुमान सहाय जाति बलाई निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

– प्रार्थी

बनाम

1. फूलचन्द पुत्र स्व० गणेश
2. रामनारायण पुत्र स्व० गणेश
3. तारा देवी, स्वर्गीय गणेश की पुत्री
4. मीरा देवी पत्नी रूडमल पुत्रवधू स्व० गणेश
5. कैलाश पुत्र रूडमल पौत्र स्व० गणेश
6. कस्तुरी पुत्री रूडमल पौत्री स्व० गणेश
7. सुरज पुत्र स्व० हरफूल पौत्र स्व० रूडमल पडपौत्र स्व० गणेश
8. बबली पत्नी स्व० हरफूल पुत्रवधू स्व० रूडमल पडपौत्रवधू स्व० गणेश
9. पतासी देवी पत्नी हनुमान सहाय
10. कौशल्या पुत्री हनुमान सहाय
11. ममता पुत्री हनुमान सहाय
12. माया देवी पुत्री हनुमान सहाय
13. नेमीचंद पुत्र ग्यारसा
14. प्रभाती देवी पत्नी ग्यारसा
15. नाथी देवी पुत्री ग्यारसा
16. सेडी पुत्री ग्यारसा
17. प्यारी बेटी ग्यारशा
18. पांची पुत्री ग्यारसा

    समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

19. "राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
20. उप पॅजीयक रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

.......अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 04.08.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्र[illegible] ह[illegible]त प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम नांगल सिरसी पट[illegible] नांगल सि[illegible], भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला [illegible] कृषि भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी खाता संख्या नया 28 पुराना 26 के खसरा नम्बर 18 रकबा 2.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.6200

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4/862 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.1200 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 4.6100 हैक्टेयर स्थित हैं, जो वर्तमान में प्रार्थी के दादा व अप्रार्थीगण के पिता/दादा/पडदादा/पूर्वजों के नाम दर्ज व अंकित हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 9 लगायत 18 के पूर्वज गणेश पुत्र रामू का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज ग्यारसा पुत्र रामू का 1/2 हिस्सा निहित हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वज का देहान्त हो चुका है जिनकी विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम स्वीकृत नहीं हुआ हैं। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करता आ रहा हैं। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि को एतपश्चात् "वादअधीन कृषि भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा हैं। वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज चलें आ रहें हैं। जिनके देहान्त के पश्चात प्रार्थी अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं। इसलिये प्रार्थी ने समय–समय पर अप्रार्थीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो अप्रार्थीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरतें रहें, परन्तु अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गई हैं। हाल ही में प्रार्थी द्वारा भूमि के विभाजन के लिए अप्रार्थीगण से वार्तालाप की तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नही दिया, एवं भूमि के विभाजन हेतु इन्कार कर दिया, और अप्रार्थीगण वादअधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी पर बाहुबल के आधार पर निर्माण कार्य कर वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द करने हेतु उतारू हो गये। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक है क्योकि नही तो वाद बाहुलता होगी और न्याय व न्यायालय का अतिरिक्त भार बढेगा और प्रार्थी को अनेको विचारण का सामना करना पडेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका द्रव्य में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किये गये। ... तामील शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 ... दिनांक 11.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:44 IST
Reason: SelfAttested

जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 फूलचन्द पुत्र स्व. गणेश की ओर से प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कथन प्रार्थी द्वारा उनवानी दावा झूठे एवं असत्य तथ्यों के आधार पर दायर करना स्वीकार है, लेकिन सफलता की आशा करना गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के दादा व पूर्वजो के नाम ग्राम नांगल सिरसी मे कोई भूमि दर्ज नही है, बल्कि उनके नाम ग्राम नांगल सिरसा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबिसल तहसील रामपुराडाबडी मे सहखातेदारी की भूमि स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार उक्त भूमि स्वर्गीय गणेश व स्वर्गीय ग्यारसा पुत्रान रामू के नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में वर्णित सजरा खानदान स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 में वर्णित कथन गणेश पुत्र रामू व ग्यारसा पुत्र रामू का हिस्सा 1/2 व 1/2 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार दर्ज है, जिनका देहान्त होना स्वीकार है प्रार्थी ने उक्त मद मे ग्यारसा व गणेश की भूमि का विरासत का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में नामान्तरकरण सम्बन्धित दिये गये प्रावधानो के तहत नामान्तरकरण खुलवाने के सम्बन्ध मे तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही नही किये जाने का कोई उल्लेख नही किया है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 5 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है, जो अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि मे से खसरा नम्बर 26 पर मल्लिका विहार, खसरा नम्बर 18 भगवान नगर, खसरा नम्बर 35 रघुनाथ विहार कॉलोनी सृजित है, जिसमे भूखण्डधारियों के भूखण्ड बने हुये है। प्रार्थी ने उक्त मद मे मौके पर आवासीय कॉलोनी के सम्बन्ध में कई उल्लेख नही किया है, बल्कि तथ्यों को छिपाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 6 में वर्णित कथन प्रक्रियात्मक है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के मद संख्या 7 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर, तकमील किया गया है गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि का मिन प्रतिवादी के पिता स्व. गणेश व स्व. ग्यारसा ने पूर्व मे ही विवादग्रस्त का मौके पर बंटवारा कर लिया था, जिसके बाबत् लिखावट वर्ष 2011 मे की गई तथा उक्त लिखावट की प्रति वादी के चाचा प्रतिवादी संख्या 13 नेमीचन्द पुत्र ग्यारसा के कब्जे मे है। उक्त बंटवारा अनुसार ही मौके पर काबिज होकर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काश्त व उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 8 में वर्णित कथन गणेश व ग्यारसा का देहान्त होना स्वीकार है, जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड मे वादग्रस्त भूमि अंकित चली आना स्वीकार है। उक्त मद मे वर्णित शेष कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है, गलत मनगढन्त काल्पनिक होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी का भूमि विवादग्रस्त पर कब्जा काश्त होना अस्वीकार है। प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार ही नही है तो उसे मीटर्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन करवाने का अधिकार ही प्राप्त नही है। उक्त मद मे वर्णित कथन कि वादग्रस्त भूमि मे बिना विभाजन किये विक्रय हस्तानान्तरण निर्माण कार्य नही किया जा सकता, जो गलत है। जबकि वास्तविकता यह है कि आराजी खसरा नम्बर 26 पर मल्लिका विहार, खसरा नम्बर 18 भगवान नगर, खसरा नम्बर 35 रघुनाथ विहार कॉलोनी सृजित है, जिसमे भूखण्डधारियों ने निर्माण कर भूखण्ड तामीरात किये हुए है। इस प्रकार वादी का यह कथन कि विवादित भूमि पर निर्माण कार्य नही किया जा सकता है। उक्त कथन गलत दर्ज व अंकित होना स्वीकार है। उक्त मद में वर्णित यह कथन भी स्वीकार है कि ग्यारसा पुत्र रामू की विरासत अभी तक ग्यारसा के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:12:44 IST
Reason: SelfAttested

वारिसान के नाम दर्ज नही हुई है। मद संख्या 10 में वर्णित शेष कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है, गलत, मनगढन्त, काल्पनिक, होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी ने उक्त मद मे ग्यारसा व गणेश की भूमि का विरासत का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में नामान्तरकरण सम्बन्धित दिये गये प्रावधानो के तहत नामान्तरकरण खुलवाने के सम्बन्ध मे तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही नही किये जाने का कोई उल्लेख नही किया है। प्रार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष घोषणा अनुतोष के सम्बन्ध मे कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है। इसलिए वादी माननीय न्यायालय से विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध घोषणा करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 11 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर, तकमील किये गये है गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादाधीन कृषि भूमि मौके पर ग्यारसा व गणेश के वारिसान ने मौके पर विभाजित की हुई है, जिसके सम्बन्ध मे वर्ष 2011 मे लिखावट भी बंटवारे बाबत् तहरीर एवं तकमील की गई। उक्त मद में वर्णित शेष कथन वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए मनगढन्त काल्पनिक बेबुनियादी अंकित किये है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 12 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है, गलत, मनगढन्त काल्पनिक होने के कारण अस्वीकार है। बल्कि जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों व मौके के अनुसार विवादग्रस्त भूमि का अधिकांश भाग रिहायशी, अकृषि उपयोग उपभोग मे आ रहा है। इसलिए वादग्रस्त भूमि का विभाजन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 13 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है, गलत, मनगढन्त काल्पनिक होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई साजिश एवं साज—बाज प्रार्थी के विरूद्ध नही कर रखी है। विवादग्रस्त भूमि का अधिकांश भाग रिहायशी, अकृषि उपयोग उपभोग मे आ रहा है। इसलिए प्रार्थी का उक्त मद में वर्णित कथन कि अप्रार्थी भूमि विवादग्रस्त का कृषि से अकृषि उपयोग उपभोग करने पर आमादा है, उक्त कथन गलत है। तथा भूमि विवादग्रस्त को विक्रय हस्तानान्तरण करने पर आमादा है, बल्कि विवादग्रस्त भूमि मे से अधिकांश भू भाग का विकय इकरारनामा, सोसाइटी को खातेदार गणेश व ग्यारसा द्वारा कर दिया गया है तथा शेष भू भाग का बंटवारा आपस मे वर्ष 2011 मे सहमति से किया गया। उसी अनुसार ग्यारसा व गणेश के वारिसान मौके पर काबिज है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 14 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया है, बल्कि प्रार्थी को उक्त दावा पेश करने का कोई वादकारण ही उत्पन्न नही हुआ है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा पेश करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 15 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है, गलत, मनगढन्त काल्पनिक होने के कारण अस्वीकार है। उक्त मद मे दिनांक 26.04.2025 की घटना मनगढन्त काल्पनिक, बेबुनियादी, महज झूठा वादकारण लेने की गरज से अंकित की है, चूंकि वादग्रस्त भूमि मे से खसरा नम्बर 26 पर मल्लिका विहार, खसरा नम्बर 18 भगवान नगर, खसरा नम्बर 35 रघुनाथ विहार कॉलोनी सृजित है, जिसमे भूखण्डधारियों ने निर्माण कर भूखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

तागीरात किये हुए है। इस प्रकारइवादग्रस्त भूमि का अधिकांश भाग रिहायशी, अकृषि उपयोग उपभोग मे वाददायरी से पूर्व लगभग 12—13 वर्षो से काम आ रहा है। जवाव प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के अपेक्षा अप्रार्थीगण के पक्ष सबल है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 17 में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर एवं तकमील किये गये है, गलत, मनगढन्त काल्पनिक होने के कारण अस्वीकार है। मौके पर विवादग्रस्त भूमि का अधिकांश भू भाग अकृषि कार्य में काम आ रहा है, जिस पर आवासीय कॉलोनी विकसित है, अर्थात् वाद दायरी से पूर्व ही भूखण्डधारियों द्वारा भूखण्डो का निर्माण किया हुआ है। ऐसी स्थिति मे अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी की अपेक्षा मौके पर काबिज व्यक्तियों व अप्रार्थीगण को होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप मे सम्भव नही हो सकेगी।

अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रार्थी ने अपने स्वयं का एवं अप्रार्थीगण का पता ग्राम गोविन्दपुरा तहसील रामपुराडाबडी गलत अंकित किया है, जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ग्राम नांगल सिरस तहसील रामपुराडाबडी के रहने वाले है। प्रार्थी द्वारा उक्त वादपत्र मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए क्लीन हैण्ड के बिना गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया हैं, जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अन्यथा भी तथ्यों को छिपाते हुए किया गया स्थायी व अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् का साम्यिक अनुतोष का प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 फूलचन्द पुत्र गणेश का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। भूमि अविभाजित है यदि अविभाजित भूमि को खुर्द फुर्द किया जाता है तो वाद बाहुल्यात बडेगी इसलिए अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। जिससे प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण के वाद पत्र का औचित्य समाप्त हो सकता है तथा अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है, इसलिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः दिनांक 01.05.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:14:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर